आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–58 / 2023	
17.11.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री संजय कुमार साहु, वर्तमान पता–टाटी सिलवे, जिला–राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री सौरभ सिन्हा, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित। शिकायतकर्ता और प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नामकोम, श्री सौरभ सिन्हा, व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हैं। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि आयोग के पिछले आदेश के आलोक में उन्हें दो दिन पूर्व जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि आयोग के आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता को बकाया राशन उपलब्ध करा दिया जाए। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि उन्होंने शिकायतकर्ता से संपर्क किया, शिकायतकर्ता शहर से बाहर थे, अतः उपलब्ध नहीं कराया जा सका। आयोग शिकायतकर्ता और प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे दोनों आपसी सहमति बना कर तिथि निर्धारित कर लें और निर्धारित तिथि को बकाया राशन उपलब्ध करा दें। चूंकि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी आयोग के आदेश के अनुपालन कर दिये जाने के प्रति आश्वस्त कर रहे हैं। अतः उनके आश्वासन के आधार पर आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। लेकिन यदि शिकायतकर्ता ने भविष्य में आयोग के आज के आदेश के अनुपालन नहीं किये जाने के संदर्भ की शिकायत की, तो आयोग इस वाद की सुनवाई पुनः प्रारंभ कर सकता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyauf\Vinod Sir\Commission order.docx130	